केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु0)
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली–110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi-110016.
Tel.: 26858566 Fax 26514179
Website: www.kvsangathan.org

1963 50 2013
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

F.110350-41(मा० सं.वि.म.)/२०१३- के.वि.सं./शै० 15482 - 5508/ दिनांक: 14.03.2013 13/03/13

उपायुक्त,
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय,
केन्द्रीय विद्यालय संगठन,

विषय: Draft chapter on Education Development of Persons with Disabilities Annual Report 2012-13.

महोदय,

उपर्युक्त विषयांतर्गत आपका ध्यान प्रवेश के लिए दिशा निर्देश 2013-14 के भाग- क पैरा- 5 (ख) की तरफ आकर्षित किया जाता है कृपया विकलांग बच्चों के केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु निम्न बिन्दुओं का अवलोकन करके आपके संभाग के समस्त केन्द्रीय विद्यालयों के प्राचार्यों को दिशा निर्देश जारी करें ।

1. शिक्षा के अधिकार अधिनियम में बताए गए प्रावधानों के अनुसार विकलांगता व्यक्ति अधिनियम 1995 (The person with Disabilities Act 1995) के प्रावधानों के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान है जिसमें शारीरिक विकलांगता के साथ मानसिक विकलांगता का भी ध्यान रखा जाता है। विकलांगता व्यक्ति अधिनियम 1995 (THE PERSONS WITH DISABILITIES, (EQUAL OPPORTUNITIES, PROTECTION OF RIGHTS AND FULL PARTICIPATION) ACT 1995) के चेप्टर के पैरा 2 (एच) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) के वर्णित ऐसे विकलांग व्यक्ति जो कि शारीरिक विकलांग, नेत्रहीन, मूक बधिर, लेप्रोसीमुक्त (Leprosy – cured, "Leprosy cured person" means any person who has been cured of leprosy but is suffering from.....), श्रवणशक्ति विकलांगता, लोकोमोटर (locomoter) विकलांगता, मानसिक विकलांगता आदि की श्रेणी में इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं जिन्हे इस एक्ट में बताए गए चिकित्सा प्राधिकारी ने प्रमाणित अथवा नोटिफ़िकेशन, गज़ट में शारीरिक, मानसिक विकलांगता के अंतर्गत घोषित किया है, इन छात्रों हेतु केन्द्रीय विद्यालयों में 3% प्रवेश हेतु आरक्षण का प्रावधान है ।
2. शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के संशोधित बिल 2009 एवं बिल नंबर XIX- सी 2010 सेक्शन 3 में संशोधन पैरा (सी) (3) का विकलांग बच्चों के केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु 3% आरक्षण के अंतर्गत सम्मिलित है ।
3. विकलांग बच्चों को परीक्षा आदि में लिखने/बोलने हेतु नियमानुसार केंद्रीय विद्यालयों में सहायक उपलब्ध कराए जा सकते हैं ।
4. केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार शारीरिक विकलांग बच्चे-नेत्रहीन, बधिर इत्यादि के लिए 3% सीटें संस्तर (Horizontally) रूप से आरक्षित है। संस्तर स्तर के आरक्षण का अर्थ यह है कि अनुसूचित जाति के विकलांग बच्चों के लिए 15% का 3% अनुसूचित जनजाति के विकलांग बच्चों के लिए 7.5% का 3% सीटें और सामान्य श्रेणी के विकलांग बच्चों के लिए 77.5% का 3% आरक्षित है ।
5. RTE Act 2009 संशोधित बिल 2010 प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण हेतु लागू है ।
6. केंद्रीय विद्यालयों को विकलांग बच्चों को विद्यालय भवन / परिसर में बाधारहित आवागमन (Barrier free access) की सुविधा प्रदान करने हेतु यह सुनिश्चित करें कि समस्त विद्यालयों में बाधारहित सुविधा उपलब्ध हो।
7. केन्द्रीय विद्यालयों के शैक्षिक जांच के समय उपरोक्त समस्त बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित किया जाए ।

भवदीय,
13/3/13
(डा. शचीकान्त)
संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण एवं शैक्षिक)

प्रतिलिपि-